

को पेश है।

24/10/19 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित हैं।
वादी वकील ने बताया कि वादी अब आगे
उत्तरण की वही चलकर नोट उम्मा में रजिस्ट्रार
चाहते हैं।

नोट: वादी का नोट पत्र उत्तरी
मित्री देवी बराम रामदयाल सुं नं 114/17
नोट उम्मा में रजिस्ट्रार किया जाता है। पत्रावली
केवल सुमार ही नंबर से नमो है।

महसुद अधिकारी
हिण्डोच


Next page

24/10/17

पत्रावली पेश हुई। सायलान वकील उपस्थित है। सायलान वकील ने बताया कि सायलान मरने के लिए अफसोस भी नहीं चलाकर नोटिस में खारिज हो रहा है।

अतः सायलान का प्रा. पत्र धारा

312 स.ग. स. उनको मु. मित्रीद्वी बजाय समदाल मु. नं. 92/17 नोटिस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी इम्पार होकर नम्बर में काम है।


बलराम अधिकारी
जज

Not present
yy
